(ग) से (ङ) दिल्ली में सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पतालों की कुल संख्या तथा वर्ष 1991 के अन्त तक उपलब्ध पलंगों का विवरण है। (नीचे देखिये)

दिल्ली प्रशासन के अधीन एक 500 पलंगों वाला अस्पताल और छह 100 पलंगों वाले अस्पताल स्थापित करने के लिए कार्रवाई विभिन्न चरणों में है।

दिल्ली में 1-1-1992 को विभिन्न प्रकार के अस्पतालों और उनमें पलंग संख्या का विवरण।

विवरणी

		संख्या	पलंग संख्या
1.	स्थानीय निकाय (दिल्ली नगर निगम+नई दिल्ली नगरपालिका)	22	3,698
2.	सरकारी एजेंसियां (केन्द्रीय सरकार+दिल्ली प्रशासन)	25	8,346
3.	रेलवे	2	441
4.	सांविधिक निकाय	8	2,005
5.	निजी और स्वैच्छिक संगठन	24	3,732
	कुल	81	18,722

फ्लोराइड की विषाक्तता के कारण होने वाली मौतें

225. **श्री राम जेठमलानी :**
चौधरी हरि सिंह :

डा० जितेन्द्र कुमार जैन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अप्रैल, 1992 के इकोनोमिक टाइम्स में "फ्लोराइड पाईजनिंग टेथ्स इन गुजरात" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि विषाक्त जल के कारण गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आकस्मिक मौत का शिकार बन रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस आपदा से लोगों की रक्षा करने के लिए अभी तक कोई विशेष उपाय किये हैं यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती डी० के० तारावेवी सिद्धार्थ): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही और सभापटल पर रख दी जाएगी।

जनसंख्या नियंत्रण

226. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 और 1992 में जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और उनके क्या-क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) क्या सरकार ने जनसंख्या के स्तर को वर्तमान स्तर पर बनाये रखने के लिए कोई उपाय विकसित किया है ;

(i) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ii) यदि नहीं, तो वर्ष 1991-92 के बजट में इस शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित की गई धनराशि कहां खर्च की गई और किस प्रकार खर्च की गई ; और

(ग) क्या सरकार जनसंख्या पर नियंत्रण पाने में असफल रही है; यदि नहीं तो पिछले 10 वर्षों से जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है और उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती डी० के० तारावेवी सिद्धार्थ): (क) जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए

1991-1992 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है :—

(i) परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक नई गति प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से परामर्श करके एक कार्ययोजना तैयार की गई है। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रभारी मंत्रियों द्वारा जनवरी, 1992 में अनुसमर्थित किया गया है और अब इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ii) राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में जनसंख्या समस्या पर एक अलग कार्य-सूची मद के रूप में चर्चा की गई थी और इस संबंध में एक राय थी कि जनसंख्या नियंत्रण को दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए और इसे उच्चतम राष्ट्रीय प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(iii) जनसंख्या नियंत्रण नीति और कार्य-नीतियों के सभी पहलुओं की जांच करने तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने तथा धार्मिक और बहुक्षेत्रीय आधार पर जनसंख्या नियंत्रण कार्य-क्रम के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त नीतियां और कार्यनीतियां तैयार करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद एक समिति गठित की गई है। इस समिति की पहले ही एक बैठक हो चुकी है।

(iv) जनसंख्या नियंत्रण का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक बल दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में पता लगाया गया है।

उपर्युक्त पहलों के परिणामस्वरूप जनसंख्या संबंधी मुद्दों को वापस राष्ट्रीय कार्यसूची के केन्द्र में लाया गया है।

(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 के संदर्भ में दीर्घकालिक जनांकिकीय लक्ष्य के अन्तर्गत वर्ष 2000 ई० तक 102 प्रतिशत की स्वाभाविक वृद्धि दर को प्राप्त किया जाना है। इस प्रकार जनसंख्या के स्तर को वर्तमान स्तर पर रखने के लिए उपाय विकसित करने का प्रश्न नहीं उठता।

परिवार कल्याण कार्यक्रम एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम है। वर्ष 1991-92 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृति परिव्यय 749.00 करोड़ रुपये था जिसे बाद में बढ़ाकर 856.52 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस रकम को अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने संबंधी आधारभूत ढांचे के रख-रखाव, आपूर्तियों की खरीद करने, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रचार माध्यम कार्यकलापों व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं और क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं के कार्यन्वयन पर खर्च किया गया था।

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम के परिणाम-स्वरूप कुल प्रजननता दर 5.97 (1950-55) से घटकर 4.0 (1988), संशोधित जन्म दर 41.7 (1951–61) घटकर 29.9 (1990), शिशु मृत्यु दर 1951 में 146 प्रतिहजार जीवित से कम हो कर 1991 में 80 हो गई है और अब गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल कर रहे पात्र दम्पतियों की प्रतिशतता 1970-71 में 10.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 1991 के अन्त में 44.1 प्रतिशत हो गई है।

अनुमान है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप मार्च, 1991 के अन्त तक देश में लगभग 130.21 मिलियन जन्मों को रोका गया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)

जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में बेहतर परिणाम न मिलने के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है :—

(i) पुत्र की प्रबल इच्छा।

(ii) निम्न महिला साक्षरता दर।

(iii) महिलाओं के विवाह के समय कम आयु ।

(iv) उच्च शिशु मृत्यु दर

(v) समुदाय भागीदारी का अभाव ।

(vi) सेवाओं की गुणवत्ता और दूर दराज तक पहुंच की अपर्याप्तता

(vii) संसाधनों की अपर्याप्तता

(viii) उच्च प्रजनन वा क्षमता वाले युवा आयु वर्ग के दम्पतियों की निम्न कवरेज ।

विवरण

अखिल भारतीय नमूना पंजीयन पद्धति के अनुमानों के अनुसार 1980-90 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर

वर्ष	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1980	2.11
1981	2.14
1982	2.19
1983	2.18
1984	2.13
1985	2.11
1986	2.15
1987	2.13
1988	2.05
1989	2.03
1990*	2.03

*अनंतिम

Indian Red Cross Act, 1920

227. SHRI S.S. AHLUWALIA: Wiil the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is fact that the recent amendment of the Indian Red Cross Act, 1920, has attracted adverse criticism from the International Red Cross and other apex bodies of the international, non-Governmental, neutral voluntary organisations ;

(b) if so, what are the details thereof with comments received, if any, from the International Red Cross in regard to the provisions of the Indian Red Cross (Amendment) Act, 1992; and

(c) reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) to (c) No, Sir. Under the provisions of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, the National Societies are to inform the Secretariat of the Federation of any proposed amendments to its own statutes. Accordingly a copy of the Indian Red Cross Society (Amendment) Bill, 1992 was sent to the Federation. Subsequently a joint communication was received from the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and the International Committee of Red Cross that the Joint Commission of the two bodies would study in depth the text of the amending statute and furnish its comments. As and when the comments of the Joint Commission are received, the sama would be considered.

AIDS in Andhra Pradesh

228. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what is the incidence of AIDS in Andhra Pradesh and the number of cases identified so far; and

(b) what steps have been taken to arrest the spread of the disease ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) As on 1st April, 1992, 96 HIV positive cases have been reported out of a total of 29,690 persons at risk behaviour screened in